NHB(ND)/GSD/out 05566 /2021
September 24, 2021

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

MDs/EDs/CEOs and PMAY-CLSS Nodal Officers
All Primary Lending Institutions which have signed MoUs with NHB for implementation of PMAY-CLSS

Madam/Sir,

CLSS for EWS / LIG under PMAY (U) – Interest subsidy for loans sanctioned and disbursed till 31.03.2022

As you are aware that Credit Linked Subsidy Scheme for Economically Weaker Section/Low Income Group (CLSS for EWS/LIG) is applicable up to 31.03.2022. As per Operational Guidelines for CLSS for EWS/LIG, housing loans sanctioned and disbursed till 31.03.2022 are to be considered for release of interest subsidy subject to fulfilment of eligibility as per PMAY-U guidelines.

2. In this regard, in order to finalise the fund requirements for such EWS/LIG cases, you are advised to provide anticipated number of cases to be uploaded by your organization in CLSS Portal, in following format:

No. of Anticipated Cases (nos.)	Anticipated Amount of Subsidy (Rs.)

3. The above information should be mailed (Email: parichay@nhb.org.in; hardik.budh@nhb.org.in) to NHB **latest by October 01, 2021**.

Thanking you,

Yours faithfully

Anuj Rastogi
(Deputy General Manager)

रा.आ.बैंक (नदि)/जीएसडी/05566/2021
24 सितंबर, 2021

प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी और पीएमएवाई-सीएलएसएस के नोडल अधिकारी

पीएमएवाई-सीएलएसएस के कार्यान्वयन हेतु रा.आ.बैंक के साथ हस्ताक्षर करने वाले सभी प्राथमिक ऋणदाता संस्थाएं

महोदया/महोदय,

पीएमएवाई (यू) के तहत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हेतु सीएलएसएस – दिनांक 31.03.2022 तक संस्वीकृत एवं संवितरित ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी

जैसा की आपको विदित है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय समूह (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हेतु सीएलएसएस) हेतु ऋण आधारित सब्सिडी योजना दिनांक 31.03.2022 तक लागू है। ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए सीएलएसएस के लिए परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 31.03.2022 तक संस्वीकृत और संवितरित आवास ऋणों को पीएमएवाई-यू दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता को पूरा करने के अधीन ब्याज सब्सिडी जारी करने हेतु विचार किया जाना है।

2. इस संबंध में, उपर्युक्त ईडब्ल्यूएस/एलआईजी मामलों के लिए निधि आवश्यकताओं को अंतिम रूप देने के लिए, आपको सूचित किया जाता है कि आप अपने संगठन द्वारा सीएलएसएस पोर्टल में अपलोड किए जाने वाले मामलों की प्रत्याशित संख्या को निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

प्रत्याशित मामलों की संख्या (संख्या)	सब्सिडी की प्रत्याशित राशि (रु.)

3. उपरोक्त जानकारी मेल से (Email: parichay@nhb.org.in; hardik.budh@nhb.org.in) रा.आ.बैंक को **दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 तक** भेज दी जानी चाहिए।

धन्यवाद,

भवदीय,

अनुज रस्तोगी
(उप महाप्रबंधक)